दिनांक- 09.12.17

खण्डपीठ-22

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ

के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप०।

आरोपी दीपक एवं रामबाबू सहित अधिवक्ता श्री उदल सिंह गुर्जर उप0। 从

फरियादी कृष्णादेवी उप०। फरियादी की पहचान अधि० श्री अरूण श्रीवास्तव द्वारा की गई।

प्रकरण आज राजीनामा हेत् नियत है।

प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा द०प्र०सं० की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई है।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत का डॉकेट भी भरा गया है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग —2 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपीगण पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति के हैं। फरियादी ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है अतः उभयपक्षों द्व ारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी दीपक एवं रामबाबू को भा0द0सं0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग –2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण मे जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1- क.2-

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) पीटासीन अधिकारी खण्डपीट क०२२ गोहद जिला भिण्ड म0प्र0